

आदेश

कार्यवाही विवरण

अनुपा
क्रमांक व
दिनांक

21/4/25 पत्रवाही पैसा पूर्ण रूप से जमा/प्राप्ति उपस्थित नहीं है।
न्यायलय का समय पूर्ण होने तक वाप-दार अदमात वापसी
नहीं है। वाप-दार वापस आने के बाद भी पत्रवाही/प्राप्ति
उपस्थित नहीं है। अतः प्रकरण को जूरी स्तर पर अदम हाजिरी
अदम पैरवी में खरिज किया जाता है। पत्रवाही केवल सुनार
होकर नम्बर से जमा हो व वापसी वाप-दार हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

होना चाहिए कि जूरी स्तर पर
अदम हाजिरी अदम पैरवी में
खरिज किया जाता है।

पत्रवाही/प्राप्ति के लिए
अदम हाजिरी अदम पैरवी में
खरिज किया जाता है।

अदम हाजिरी अदम पैरवी में
खरिज किया जाता है।

अदम हाजिरी अदम पैरवी में
खरिज किया जाता है।

अदम हाजिरी अदम पैरवी में
खरिज किया जाता है।

सब दि